

- 6- कृटेशन स्वीकृत होने पर यदि कोटेशन दाता समय सीमा में नालवे का उठान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 7- मौसम अथवा अन्य किसी कारणवश नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कृटेशनदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
- 8- अन्य शर्तें यदि कोई हों तो कार्य शुरू होने से पहले बता दी जायेंगी, जिसे मानने के लिये आप बाध्य होंगे।
- 9- आयकर नियमों के नुकसान यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।

भवदीय

मनीष मान

21/4/23

(मनीष मान)

प्रभारी भण्डार

012
प्रभारी
21-4-23

वितरण:-

- 1- नोटिस बोर्ड- मोदीपुरम, मछरी पाबली एवं सी0ब्लॉक।
- 2- ग्राम प्रधान दौराला, सिवाया, चिन्दौडी, पाबली, पबरसा।
- 3- श्री दिनेश सिंह, स0मु0त0अ0, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम मेरठ।